प्रकरण में आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र पर सुना गया । उपरोकत आवेदन के माध्यम से आवेदक ने इस न्यायालय के अधिनिर्णय दिनांक 31-1-2000 में आवेदक को दिलवायी गयी क्षति पूर्ति की राशि जिसकी की एफ0डी0आर0 बनाकर क्लेम खाते में जमा की गयी है उसकी अवधि दिनांक 30-8-16 को पूर्ण होने से उसका भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के क्लेम प्रकरण क्रमांक 15/99 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 31–1–2000 के अनुसार आवेदक को दिलायी क्षतिपूर्ति राशि में से 25000 / – रूपये की राशि स्टेट बैंक आफ इन्दोर गोहद में एफ0डी0आर0 कं0 413850 / 148 / 00 दिनांक 30-8-16 तक की अवधि के लिये एफ0डी0आर0 की गयी थी जिसकी की समय सीमा पूर्ण हो चुकी है । आवेदक के वालिग होने के संबंध में उसकी ओर से आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की है जिसमें उसकी जन्म तिथि 01-01-1996 अंकित है जिसके अनुसार भी आवेदक वर्तमान में वालिग होना प्रकट होता है । अतः आवेदक की ओर से पेश आवेदन स्वीकार कर आवेदक के नाम से उपरोक्त 25000 / – रूपये की एफ0डी0आर0 का भुगतान किये जाने का आदेश दियाजाता है । उपरोकत आशय की टीप एफ0डी0आर0 पर अंकित की जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए०एम०ए०सी०टी०गोहद